POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2020/अंक 11

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 नवम्बर, 2020 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! प्रसन्नता है, संसद के दोनों सदनों में मोदी सरकार के कृषि सुधार से जुड़े तीन विधेयक पारित हो गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को आश्वस्त किया है कि ये विधेयक पूर्ण रूप से किसानों के हक में हैं और उनके लिए रक्षा कवच बनकर आए हैं।

विधेयकों का विरोध कर रहे विपक्ष के सभी आक्षेपों को झूठ और भ्रमित करने वाला बताते हुए, मोदी ने स्पष्ट किया है कि किसान और ग्राहक के बीच से बिचौलिए खत्म होंगे, जिसका सीधा फायदा किसानों और उपभोक्ताओं को होगा।

एमएसपी की व्यवस्था भी चालू रहेगी। कृषि क्षेत्र में किए नवीनतम सुधारों से उनकी आमदनी दोगुनी होगी। खेती और किसान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। हालांकि, अगर विधेयक में किसानों को उनके उत्पादों पर एमएसपी जारी रखने की गारंटी दे दी गई होती, तो शायद किसान सड़कों पर नहीं उतरते।

यह सही है, भारत अब कृषि विकास के एक नए पायदान पर खड़ा है। किए गए सुधारों से कृषि के पारिस्थितिक तंत्र (इको-सिस्टम) की नवीनतम और विश्वस्तरीय नींव तैयार होगी। यह किसानों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों, विक्रेताओं, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों और स्टार्ट-अप को काफी फायदा पहुंचाएगा।

किसानों को प्रतिकूल और अव्यवहारों से बचाने के लिए अधिनियमों में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं, जो किसानों के लिए कवच साबित होंगे। मेरा मानना है कि भारत के कृषि विभाग द्वारा कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से किसानों के सशक्तिकरण और उन्हें जागरूक बनाने के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का संचालन बेहद जरूरी होगा।

25 हजार रुपए मासिक कमाई वालों को भी मुफ्त कानूनी सहायता

गरीब, निर्धन या असहाय व्यक्ति अपने वाजिब हकों के लिए न्याय पाने से वंचित न रहें, इसके लिए विधिक सहायता को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

- प्रदेश में अब 25 हजार रुपए प्रति माह की कमाई वालों को भी पैरवी के लिए मुफ्त वकील मिल सकेगा। इस बढ़ोतरी के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) ने प्रस्ताव भेजा था। केबिनेट के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब तीन लाख रुपए सालाना आय वालों को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की किसी भी अदालत में पैरवी के लिए मुफ्त वकील मिल सकेगा।
- इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेगार मांगने वाले या मानव तस्करी के शिकार, जातीय प्रताड़ना या हिंसा, प्राकृतिक आपदा के शिकार, औद्योगिक श्रमिक, बंदी एवं मनोरोग के शिकार व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता मुहैया कराने का प्रावधान है।
- महिलाओं के विवाह सम्बन्धी व दहेज विरोधी कानून, अपहरण, बलात्कार तथा भरण-पोषण भत्ता पाने के मामलों आदि में आमदनी की यह सीमा लागू नहीं होती। उन्हें अधिक आमदनी होने पर भी विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है।
- विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों को राज्य के किसी भी न्यायालय में दर्ज होने वाले मामलों में उनके वकील की फीस, कोर्ट फीस, गवाह खर्च आदि में से जो भी सहायता विधिक सहायता समिति दिलाना उचित समझे दिलाए जाते हैं।

डाक विभाग ने नहीं पहुंचाया शादी का निमंत्रण, भरना होगा जुर्माना

बीकानेर जिला उपभोक्ता आयोग में जितेन्द्र चौपड़ा ने डाक विभाग के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में उन्होंने बताया कि 20 जनवरी 2019 को उनकी शादी थी। इससे 15 दिन पहले उसने रजिस्टर्ड डाक द्वारा 84 रुपए खर्च कर किशनगंज (बिहार) निवासी रिश्तेदार हंसराज पुगलिया को डाक विभाग के जरिए निमंत्रण पत्र भेजा था।

विभाग से निमंत्रण पत्र गुम हो गया। ऐसे में निमंत्रण पत्र नहीं मिलने से संबधित रिश्तेदार शादी में नहीं पहुंच सके। जबकि शादी के 10 दिन बाद 30 जनवरी को डाक विभाग ने उन्हें सूचना दी कि संबंधित पते पर डाक भेज दी गई है। उधर, उन्हें रिश्तेदारों से पता चला कि उन्हें निमंत्रण पत्र नहीं मिला। निमंत्रण पत्र नहीं मिलने से उनकी शादी में नजदीकी रिश्तेदार नहीं पहुंचे, इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए निमंत्रण पत्र के खो जाने और इससे परिवादी द्वारा भेजा गया शादी का निमंत्रण पत्र निर्धारित पते पर उनके रिश्तेदारों तक नहीं पहुंचाने को विभाग का गंभीर सेवा दोष माना। आयोग ने डाक विभाग को निर्देश दिया कि वह जितेन्द्र चौपड़ा को हुए मानसिक संताप के एवज में 10,000 हजार रुपए और परिवाद खर्च के 5,000 रुपए अदा करे।

सतत् विकास पर महामारी के नकारात्मक प्रभाव

'ग्रीन एक्शन वीक' प्रति वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जो सतत् उपभोग को बढ़ावा देता है। 'ग्रीन एक्शन वीक'अभियान स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन के सहयोग से वैश्विक स्तर पर आयोजित किया जाता है। इस अभियान में 30 देशों की करीब 50 संस्थाएं भाग लेती हैं। जिनमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नोर्थ और साउथ अमेरिका के देश शामिल हैं।

जयपुर स्थित अग्रणी उपभोक्ता संस्था 'कट्स' द्वारा भारत में 'ग्रीन एक्शन वीक' अभियान संचालित किया जाता है। 'ग्रीन एक्शन वीक' 2020 अभियान का इस वर्ष का विषय 'शेयरिंग कम्यूनिटी' है। वर्ष 2018 से इस विषय पर 'ग्रीन एक्शन वीक' अभियान के तहत समुदाय के साथ सामूहिक साझेदारी-सहयोग की भावना को बढ़ाया जा रहा है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की साझेदारी समुदाय के मध्य आपस में बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही सतत् उपभोग की भावना को भी बढ़ाया जा रहा है।

अभियान की प्रारम्भिक गतिविधियों के अवसर पर 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि एशिया प्रशांत में क्षेत्र के सभी हितधारकों के द्वारा जब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक सतत् विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। वर्तमान समय में कोरोना महामारी ने प्लास्टिक खपत में जबरदस्त वृद्धि की है। मास्क की बिक्री तेजी से बढ़ी है, साथ ही शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन होने से इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स का उपभोग भी बहुत अधिक बढ़ा है।

उद्योग लगाओ, आय बढ़ाओ!

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को गांव में अपनी जमीन पर कृषि प्रसंस्करण उद्यम लगाने की सुविधा मिलेगी ताकि ज्यादा ये ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके।

उन्होंने प्रदेशभर में कलक्ट्रेट स्थित वीसी कक्षों में मौजूद किसानों से रूबरू होते हुए कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी जिलों में एक प्रकोष्ठ बनेगा। जिला कृषि अधिकारी इनका प्रभारी होगा, जो किसानों को आय बढ़ाने के तरीके बताएगा। उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नई खाद्य प्रसंस्करण नीति के प्रावधानों, किसानों को दिए जाने वाले अनुदान आदि के बारे में किसानों व ग्रामीण युवाओं को जानकारी दें।

अधूरा रहा 'जनता क्लीनिक' का सपना

प्रदेश में मुख्यमंत्री ने पहला बजट पेश करते समय दिल्ली में खुले 'मोहल्ला क्लीनिक' की तर्ज पर गरीब आदमी के दरवाजे तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से 'जनता क्लीनिक' खोलने की घोषणा की थी। लेकिन यह घोषणा कोरोना वायरस में गुम होकर रह गई। घोषणा के 14 माह बाद भी जयपुर के अलावा किसी भी जिले में 'जनता क्लीनिक' नहीं खुल सके।

जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में करीब 200 जनता क्लीनिक खोलने का शुरुआती लक्ष्य रखा गया था। लेकिन यह सामने आया कि जिला स्तरीय अधिकारियों ने इसे गंभीरता ने नहीं लिया।

कुसुम योजना के तहत लगेंगे सोलर पंप

प्रदेश में पहले से बिजली कनेक्शन वाले किसानों के कुओं और ट्यूबवेल पर भी अब कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाए जाएंगे। जहां पर 10 एचपी की मोटर लगी हुई है, वहां पर 5 लाख की लागत से सोलर पंप लगाया जाएगा। इसमें किसान 10 फीसदी नगद देगा। वहीं 30 फीसदी राशि का बैंक लोन से पेमेंट किया जाएगा। शेष 60 फीसदी राशि केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी के जरिए मिलेगी।

किसान सोलर पंप से बनी अतिरिक्त बिजली को 3.44 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से ग्रिड कनेक्ट करके डिस्कॉम को बेच सकेगा। ताकिबैंक की किश्त दी जा सके। इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी।

ग्रामीण परिवारों के घर तक पहुंचेगा पानी

जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। इस योजना के जरिए सभी ग्रामीण परिवारों के घरों तक प्रति व्यक्ति 55 लीटर पेयजल पाइप लाइन द्वारा मुहैया कराया जाएगा।

इसके लिए गांवों तक पाइप लाइन बिछाना और उससे कनेक्शन देकर हर घर को जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए देशभर में 21 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

लोगों को रास आया डिजिटल भुगतान

नकद की जगह दूसरे माध्यमों से लेन-देन को बढ़ावा देने के प्रयासों का असर दिखने लगा है। इसके चलते पिछले पांच सालों के दौरान डिजिटल भुगतान कई गुना बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग डिजिटल माध्यम को तेजी से अपना रहे हैं।

वित्त वर्ष 2019-20 में डिजिटल भुगतान में भारी उछाल देखने को मिला, जब लेन-देन की संख्या जबरदस्त तेजी के साथ बढ़ी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर भी डिजिटल लेन-देन तेजी से बढ़ा है।

विद्युत नियम, (उपभोक्ताओं अधिकार) 2020 का ड्राफ्ट प्रस्तुत

उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार ने 09 सितंबर 2020 को विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है। ये नियम विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। इन नियमों के अनुसार, यदि किसी ग्राहक को 60 दिनों के बाद विद्युत बिल मिलता है, तो उसे बिल पर 2-5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

सेवाओं में देरी के लिए बिजली वितरण कंपनियों पर जुर्माना/मुआवजे का भी प्रावधान है, जो सीधे उपभोक्ता के बिल से जुड़ा होगा। इस नियम का एक मुख्य प्रावधान कनेक्शन के समय और सरलीकृत प्रक्रिया से संबंधित है। इन नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को 10 किलोवॉट के लोड तक कनेक्शन के लिए केवल दो दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और कनेक्शन में तेजी लाने के लिए 150 किलोवॉट तक लोड के लिए कोई मांग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यह नियम उपभोक्ता को कनेक्शन प्रदान करने के लिए समय अवधि को भी निर्धारित करता है। इस प्रावधान के अंतर्गत मेट्रो शहरों में 7 दिन, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन के अंदर नए कनेक्शन और मौजूदा कनेक्शन को संशोधित किया जाएगा। भुगतान करने के लिए नकद, चैक, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि में बिलों का भुगतान करने का विकल्प है, लेकिन 1000 रुपए या इससे अधिक के बिलों का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।

यह नियम विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं के 2-3 प्रतिनिधियों के साथ एक उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का भी प्रस्ताव रखते हैं। अतः ये नियम उपभोक्ताओं को आवश्यक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए सही दिशा में एक कदम प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि, जमीनी स्तर पर इन नियमों का प्रभाव देखा जाना महत्वपूर्ण होगा।

बीज बैंक के फायदों की दी जानकारी

प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन के सहयोग से प्रो-ऑर्गेनिक द्वितीय चरण परियोजना के तहत 'कट्स' द्वारा भीलवाड़ा जिले के गांव पुरावातो का आकोला में सामुदायिक बीज बैंक का गठन किया गया था। बीज बैंक में भीलवाड़ा की 12 तहसीलों के किसानों द्वारा जैविक बीज एकत्रित किए गए हैं। बीज बैंक से जो किसान निःशुल्क बीज लेकर जाते हैं वे वापस दोगुना बीज बैंक में जमा करवाते हैं।

'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन और डायरेक्टर अलका सिंह ने सामुदायिक बीज बैंक और वर्मी कंपोस्ट बेड का विजिट करते हुए जैविक किसान रामेश्वर लाल तथा कन्हैया लाल से जैविक खेती, बीज बैंक और वर्मी कम्पोस्ट से क्षेत्र के किसानों को होने वाले फायदों पर चर्चा की।

करदाता किसानों ने उठाई सम्मान निधि

प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 63 हजार 936 अन्नदाताओं ने करदाता होने के बावजूद गरीब किसान बन कर करीब 58 करोड़ रुपए उठा लिए। अब इन किसानों से इस राशि की वसूली की जाएगी।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ऐसे किसानों की सूची व खाता संख्या भेजकर कहा है कि किसानों से पैसों की वसूली कराने के बाद इस खाते में पैसा जमा कराए। वसूली का जिम्मा कलेक्टरों को दिया गया है। गौरतलब है कि करदाता किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। सरकार ने आयकर विभाग से आधार कार्ड का डाटा मैच कराया तो यह हकीकत सामने आई।

जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों और सर्दी के मौसम के मद्देनजर कोरोना से निपटने के लिए लोगों को 'जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं' का मंत्र देते हुए सोशल मीडिया पर जन आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने लोगों को कोरोना के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने की अपील की है।

आइए, कोरोना से लड़ने के लिए हम सभी एकजुट हों! मास्क जरूर पहनें। साबुन पानी से हाथ साफ करते रहें, हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दो गज की दूरी बनाए रखें।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर